संख्या-30/2026/841/001-841-23-10-2026-E-2039297

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 22-09-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 राजस्व मद के अंतर्गत अनुरक्षण कार्यों हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वीकृत धनराशि को प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र-527/54सी-निवर्तन/26-27 दिनांक 25.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 में लोक निर्माण विभाग के मार्गो पर अनुरक्षण कार्यों हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त धनराशि को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 राजस्व मद में अनुरक्षण कार्यों हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त कुल धनराशि रू0 700.00 करोड़ (रूपये सात अरब मात्र) निम्नविवरणानुसार/शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु धनराशि प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रं0	योजना का नाम/15 अंकीय बजट कोड	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मूल बजट के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल बजट प्राविधान अनुपूरक सहित (3+4)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में निवर्तन पर पूर्व में रखी गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुपूरक बजट के माध्यम से स्वीकृत निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य **(3054-04-337-03-0301-29)**	1850.00	300.00	2150.00	1850.00	300.00
2	प्रदेश के ग्रामीण मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य **(3054-04-337-03-0332-29)**	2800.00	400.00	3200.00	2800.00	400.00
	योग -	**4650.00**	**700.00**	**5350.00**	**4650.00**	**700.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत धनराशि को प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।

(2) प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों, कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026-बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनॉक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित समस्त शर्तों/अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश दिनांक 28.03.2026 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित निम्न व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

''धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।''

(4) निवर्तन मद के अंतर्गत बजट व्यवस्था के अनुसार रू0 40.00 लाख से कम लागत के कार्यों की स्वीकृति से पूर्व संबंधित कार्यों की कार्ययोजना पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(5) केवल स्वीकृत योजनाओं/मदों पर व्यय किया जायेगा। किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों के कार्यान्वयन में नहीं किया जायेगा। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से व्यय की गयी का धनराशि का मदवार विवरण सहित कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 3,00,00,00,000 (रुपये तीन अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 3054043370301 प्रदेश के मार्गों /पुलियों का अनुरक्षण कार्य **मानक मद** 29 अनुरक्षण (*2*) रुपये 4,00,00,00,000 (रुपये चार अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 3054043370332 प्रदेश के ग्रामीण मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/ 2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हक0, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

3- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं 2 ।

5- नियोजन अनुभाग-4

6- गार्ड फाईल ।

7- अनुभाग-01

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।